

31-5-18 पक्रावली आज ईम्प कोर्ट नेवरी में प्रेष  
हुई। प्रकरण से संबंधित वाड पत्र का निस्तारण  
हो चुका है। प्रावपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को  
कोई अर्थोचित्य नहीं है। अतः प्रावपत्र अस्थायी  
निषेधाज्ञा को खारिज दिया जाता है। पक्रावली  
फौजदारी अफसर कोवर कोवर से कर दो तथा पक्रावली  
दाखिल हफ्ता है।